संख्या-1/2/2001-का-प्रसको/2007

प्रेषक,

शंभु नाथ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठः लखनऊः दिनांकः 23 अप्रैल,2007

विषयः- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एच.आई.वी./एड्स विषय को सम्मिलित किया जाना ।

महोदय,

समसंख्यक शासनादेश दिनांक 8.10.2001, दिनांक 14.11.2002 एवं दिनांक 04.7.2003 के क्रम में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सभी विभागों के आधारभूत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एच.आई.वी./एड्स विषय को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है ।

2. उपर्युक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों/ प्रधानाचार्यो को एच.आई.वी./एड्स से संबंधित पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें । एच.आई.वी./एड्स से संबंधित माड्यूल विकसित करने हेतु परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ से सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(शंभु नाथ)
मुख्य सचिव ।

संख्या-1/2/2001(1)/ का-प्रसको-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक/निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
2. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4. परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(उमेश सिन्हा)
सचिव ।